लोक शिक्षण संचालनालय
मध्यप्रदेश
दूरभाष ९१-०७५५-२५८३६५९ फैक्स ०७५५-२५८३६५०
ई–मेल dpividhya@yahoo.com

क्रमांक / राशिकप्र / पुर. / 2018 / 78 भोपाल, दिनांक 9.7. 2018
प्रति,

समस्त जिला शिक्षा अधिकारी,
मध्यप्रदेश।

विषय :– राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार वर्ष 2017–18 हेतु पुनरीक्षित प्रक्रिया।
संदर्भ :–संचालनालय का पत्र क्रमांक / राशिकप्र / पुर. / 2018 / 75 भोपाल, दिनांक 21.06.2018।

––0––

भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार–2017 हेतु जारी पुनरीक्षित पात्रता एवं शर्ते तथा आन–लाइन प्रक्रिया के संबंध मे संदर्भित पत्र का अवलोकन किया जाये, जिसके साथ भारत सरकार की पुनरीक्षित मार्गदर्शिका भेजकर 30 जून 2018 तक शिक्षकों से www.mhrd.gov.in बेव पोर्टल पर आवेदन आमंत्रित किये गये थे। जिसकी तिथि मे वृद्धि कर आवेदन आमंत्रण हेतु 15 जुलाई 2018 तक पोर्टल पर सुविधा उपलब्ध कराई गई है।

आन–लाइन आवेदन एवं अन्य जिला / राज्य / राष्ट्र स्तरीय प्रक्रिया पूर्ण करने हेतु भारत सरकार द्वारा संशोधित समय–सारिणी एवं जिला स्तर से संपादित की जाने वाली कार्यवाई का विवरण निम्नानुसार है :–

1.भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार–2017 हेतु आन–लाइन संपादित की जाने वाली प्रक्रिया की संशोधित समय–सारिणी :–

स.क्र.	संपादित की जाने वाली कार्यवाई	पुनरीक्षित समय सारिणी
1.	भारत सरकार द्वारा बेव पोर्टल पर आन–लाइन आवेदन आमंत्रित करने हेतु समयावधि।	15 जून 2018 से 15 जुलाई 2018 की मध्य रात्रि तक
2	जिला चयन समिति द्वारा गुणानुक्रम सूची के प्रथम 03 नाम राज्य चयन समिति को आन–लाइन पोर्टल के माध्यम से अनुशंसित करना।	16 जुलाई 2018 से 24जुलाई 2018 की मध्य रात्रि तक
3	राज्य चयन समिति द्वारा गुणानुक्रम सूची तैयार कर पोर्टल के माध्यम से नेशनल ज्यूरी को आन–लाइन अनुशंसित करना।	25 जुलाई 2018 से 31जुलाई 2018 की मध्य रात्रि तक
4	भारत सरकार द्वारा बेव पोर्टल पर आन–लाइन गुणानुक्रम सूची जारी करना।	03 अगस्त 2018
5	राष्ट्रीय ज्यूरी द्वारा राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार हेतु अंतिम चयन सूची जारी करना।	30 अगस्त 2018

Scanned by CamScanner

2.जिला चयन समिति का स्वरूप एवं कर्त्तव्य :–

2.1 भारत सरकार द्वारा जारी मार्गदर्शिका अनुसार जिला चयन समिति का स्वरूप निम्नानुसार होगा :–

1.	जिला शिक्षा अधिकारी	अध्यक्ष
2.	राज्य शासन द्वारा नामित प्रतिनिधि	सदस्य
3.	प्रतिष्ठित शिक्षाविद् (जिला कलेक्टर द्वारा नामित)	सदस्य

(जिला चयन समिति मे प्रतिष्ठित शिक्षाविद् सदस्य का नामांकन संबंधित जिला कलेक्टर द्वारा किया जायेगा। तदनुसार समस्त जिला शिक्षा अधिकारी अपने जिलान्तर्गत जिला कलेक्टर से प्रतिष्ठित शिक्षाविद् का नामांकन कराये जाने की कार्यवाई सुनिश्चित करें।)

2.2. जिला चयन समिति के कार्य :–

2.2.1 शिक्षक द्वारा आन–लाइन दी गई जानकारी का अभिलेख के आधार पर जिला चयन समिति को भौतिक सत्यापन करना होगा।

2.2.2 जिला चयन समिति को भारत सरकार की मार्गदर्शिका के संलग्नक–एक अनुसार शिक्षक का मूल्यांकन/अंकन करना होगा।

2.2.3 जिला चयन समिति द्वारा निर्धारित मापदण्ड तथा तथ्यों के सत्यापन के आधार पर प्रदाय किये गये अंको के लिए प्रमाण–पत्र जारी किया जायेगा।

2.2.4 विस्तृत मूल्यांकन उपरांत गुणानुक्रम सूची के प्रथम तीन नाम राज्य चयन समिति को जिला चयन समिति द्वारा आन–लाइन पोर्टल पर अनुशंसित किये जायेंगे। अनुशंसित प्रत्येक शिक्षक के संबंध मे शिकायत/जॉच लंबित नही होने का एवं निष्कलंक सेवा का प्रमाण–पत्र जारी करना होगा।

2.2.5 जिला चयन समिति अपनी अनुशंसा मे विशेष उपलब्धि प्राप्त शिक्षक, विशेष शिक्षा मे अध्यापनरत शिक्षक तथा दिब्यांग शिक्षक को अनुशंसित शिक्षकों की सूची मे सम्मिलित करने हेतु बिन्दु क्रमांक–2 मे निर्धारित मापदण्ड अनुसार अधिकतम एक शिक्षक पर यथासंभव विचार करेगी।

2.2.6 विज्ञान, कला, संगीत एवं शारीरिक शिक्षा आदि के अध्यापन मे उल्लेखनीय उपलब्धि प्राप्त करने वाले शिक्षक अनुशंसा हेतु जिला चयन समिति द्वारा विचारणीय होगे।

Scanned by CamScanner

3.जिला चयन समिति हेतु लॉग–इन–आई.डी. एवं पासवर्ड

जिला चयन समिति के लिए समस्त जिला कलेक्टर्स को भारत सरकार द्वारा उनकी ई–मेल आई.डी. पर राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार–2017 हेतु आन–लाइन प्रक्रिया की जिला स्तरीय कार्यवाई पूर्ण करने हेतु लागिन आई.डी. एवं पासवर्ड पृथक से उपलब्ध कराये जायेंगे।

भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार–2017 हेतु जारी मार्गदर्शिका का अध्ययन करें तथा उपरोक्त प्रक्रिया अनुसार निर्धारित समयावधि मे समस्त कार्यवाई पूर्ण करना सुनिश्चित करें।

(जयश्री कियावत)
आयुक्त
लोक शिक्षण, मध्यप्रदेश

पृ.क्रमांक/राशिकप्र/पुर./2018/ 79   भोपाल, दिनांक 9.7. 2018

प्रतिलिपि :–

1.श्री राजेन्द्र प्रसाद, अवर सचिव (एन.ए.टी.) मानव संसाधन विकास मंत्रालय, स्कूल शिक्षा एवं साक्षरता विभाग, भारत सरकार, शास्त्री भवन, नई दिल्ली की ओर उनके पत्र क्रमांक एफ नं0 1–5/2017–एन.ए.टी. नई दिल्ली दिनांक 27.6.2018 के संदर्भ मे सूचनार्थ प्रेषित।

2.प्रमुख सचिव, म.प्र. शासन, स्कूल शिक्षा विभाग, मंत्रालय, भोपाल।

3.समस्त कलेक्टर्स, मध्यप्रदेश।

4.समस्त संभागीय संयुक्त संचालक, लोक शिक्षण, मध्यप्रदेश ।

आयुक्त
लोक शिक्षण, मध्यप्रदेश

Scanned by CamScanner